कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

***

विषय- कृषि उत्पादों पर डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों से एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं को संभालने में एपीडा और ईआईसी की सुगमता के लिए फर्मों (अधिमानतः कानूनी फर्मों) से बोलियों के संबंध में 11 सितम्बर 2024 को आयोजित बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

क्र.सं.	**बोली नोटिस में संदर्भ**	**प्रश्न**	**एपीडा का जवाब**
1	पैरा 1.4	क्या केवल कृषि एवं खाद्य उत्पाद क्षेत्र से संबंधित एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना है? क्या कृषि एवं खाद्य उत्पादों के अलावा अन्य उत्पाद भी अधिसूचनाओं की समीक्षा के दायरे में आते हैं?	पैरा 1.4 की तीसरी पंक्ति में तथा बोली नोटिस में अन्यत्र दिखाई देने वाले शब्द "कृषि एवं खाद्य उत्पाद" को "ताजे फल एवं सब्जियां, पशु मूल के उत्पाद, अनाज, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन आदि" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। पैरा 1.4 की विषय-वस्तु को तदनुसार पढ़ा जाए। एसपीएस और टीबीटी दोनों अधिसूचनाओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।
2	पैरा 5(vii)	व्यापार विश्लेषक की योग्यता क्या होनी चाहिए?	व्यापार विश्लेषक के पास निम्न होना चाहिए (i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, (ii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा विश्लेषण और बाजार आसूचना में तीन वर्ष का न्यूनतम अनुभव, (iii) निम्न में सुप्रवीण (क) टेबल्यू, और/या अन्य विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स जैसे कि पावर बी1 या इसके समकक्ष, और (ख) स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सुइट्स।

***